

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO)..... मुकाम.....
बायतु

..... बनाव चनेरार खाँ

किस्म मुकदमा 310 डाने 111, 128 RLR नं. 258/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/09/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री राजेश्वर शर्मा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/10/2020 को पेश हो।</p>	
14/10/2020	<p>प्रार्थी व वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी गणों के नोटिस तामिल हुक्म तामिल उपरिपत्र/जीमान पीठानी अधिकारी दिग्ग डार्न के व्याप होने के मितल इल्लव डोट्ट कर्गारी दिनांक 03/11/2020 के पेश हो।</p>	<p>(SDO) बायतु</p>
03/11/2020	<p>प्रार्थी व वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी गणों के नोटिस तामिल हुक्म उपरिपत्र जिसे तामिल पत्रावली विपत्र गण/जीमान पीठानी अधिकारी दिग्ग डार्न के व्याप होने के मितल इल्लव डोट्ट कर्गारी दिनांक 24/02/2021 के पेश हो।</p>	

24/02/2021

पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इल्लवा हाकर दिनांक 28/04/2021

डी प्रेस टी/२

28/04/2021

पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इल्लवा हाकर दिनांक 13/07/2021

डी प्रेस टी/२

13/07/2021

पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इल्लवा हाकर दिनांक 08/11/2021


डी प्रेस टी/२

08/11/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विचारणीय वाक्यसु
तामिल अनुपस्थित। सीमान पीठासीन अधिकारी
प्रकाशन जॉबो के लिये अभियान - 2021 इन्फो
में व्याप्त होने से सिवाल इल्लवा होडा मागण
दिनांक 06/04/2022 डी प्रेस टी/२

अज अदालत उपस्थित
डुकम
डुकम
06/04/2022
प्रार्थी वकील
तामिल अनुपस्थित / न्य

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
06/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (SDO) बायतु </p>	

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/319

दिनांक : 06/04/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. विरधाराम पुत्र टीकमाराम वगैरा 26,
जाति मेघवाल, निवासी सऊओं की ढाणी,
पटवार मण्डल सेवनियाला,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. चनेसर खां पुत्र मूसे खां वगैरा 05,
जाति मुसलमान, निवासी सऊओं की ढाणी,
पटवार मण्डल सेवनियाला,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 258/2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - सऊओं की ढाणी, पटवार हल्का - सेवनियाला, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 424 रकबा 168 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक : वाद/2022/320-324

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का सेवनियाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री विरधाराम पुत्र टीकमाराम वगैरा 26,
4. विप्रार्थी श्री चनेसर खां पुत्र मूसे खां वगैरा 05,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 06/04/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर
(S.D.O) बायतु